



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रले वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

मईपल रकबकीयन / लीननपन वेव-साईट रकबीयनरकवतह वेदम वन 12/11/2021 26/12/2021 26/12/2021 26/12/2021

क्रमांक: F-37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.रा./का.वि./2023/ 3746

दिनांक:- 17/12/23

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 02 बैठक दिनांक 16.02.2022 को उपायुक्त (जोन 02) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकांशिका का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	गत बैठक 18.01.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 121 रकबा 12.15.00 बीघा (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी। प्रकरण में श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री सुखराम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में जोन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 183/2010 मिश्री देवी व अन्य बनाम बालुराम वगैरह उनका व्यक्तिगत वाद होने के कारण जोन द्वारा राजस्व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क व उपधारा 08 के तहत राज्य एवं आम जनहित के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.02.2022 को खारिज की जा चुकी है।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
5. ले-आउट प्लान की समस्त आंतरिक सड़कों को न्यूनतम 30 फीट तथा जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 फीट सड़क दर्शाने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	13893.26	64.72
2.	सड़क	6508.09	30.31
3.	पार्क	1064.26	4.97
	कुल योग	21465.61	100

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 123 रकबा 04.06.00 बीघा (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

पिनो-लोप

अपल

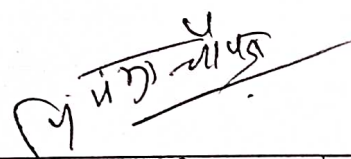
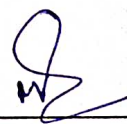
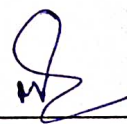
म

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी। प्रकरण में श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री सुखराम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में जोन द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 183/2010 मिश्री देवी व अन्य बनाम बालुराम वगैरह उनका व्यक्तिगत वाद होने के कारण जोन द्वारा राजस्व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क व उपधारा 08 के तहत राज्य एवं आम जनहित के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.02.2022 को खारिज की जा चुकी है।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
5. ले-आउट प्लान की समस्त आंतरिक सड़कों को न्यूनतम 30 फीट तथा जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 फीट सड़क दर्शाने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है -

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	4589.26	66.59
2.	सड़क	2303.51	33.41
	कुल योग	6892.77	100

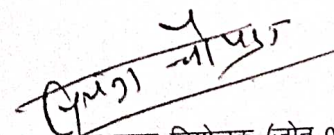
एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 823 रकबा 08.08.00 बीघा (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण ले-आउट प्लान समिति के स्तर का होने के कारण प्रकरण को ले-आउट प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

 तहसीलदार (जोन 02) जोधपुर विकास प्राधिकरण	 सहायक नगर नियाजक (जोन 02) जोधपुर विकास प्राधिकरण	 अधिशायी अभियन्ता (जोन 02) जोधपुर विकास प्राधिकरण	 उपायुक्त (जोन 02) जोधपुर विकास प्राधिकरण
---	---	---	---

क्रमांक: F-37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 3747 to 3752 दिनांक:- 17/2/23
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन 02, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन 02, जो.वि.प्रा., जोधपुर


सहायक नगर नियोजक (जोन 02)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर